

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 2 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी

पीठासीन अधिकारी:- श्री राजेन्द्र सिंह(आर.ए.एस.)
आर0सी0एम0एस:-2019/00499
मुकदमा नम्बर:- 232/2019

कैलाश राम

बनाम

सांवलराम आदि

निर्णय दिनांक:- 29/12/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी उदयपुरवाटी ब हाजिरी उभयपक्षकारान मिनजानिब मुदई वल्द ...-.....
..... मिनजानिब मदयलह पेश होकर हुक्म दिया
जाता है कि :-

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा डिक्री इस आशय की
जारी की जाती है कि ग्राम कैरोठ पटवार हल्का पापड़ा कलां तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में
स्थित वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 220, 24, 252 कुल किता 3 कुल रकबा 0.9800 हैक्टर तथा भूमि
खसरा नम्बर 520/48 रकबा 0.6500 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार वादी कैलाश राम व
प्रतिवादी संख्या 2 बनारसी देवी को घाषित किया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी
राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निज...-..... मुबलिक -.....-..... दाबन.-.....-.....

.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह -.....
फीसदी आज की तारीख से तारीख अदायगी तक -..... का अदा करे।
सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29/12/2020 को जारी की गई।



29
उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी
उदयपुरवाटी

